

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अनु. जनजाति, अनु. जातियों के लिये

नवीन आवेदन-पत्र

मध्य प्रदेश

यह आवेदन-पत्र संस्था प्रमुख को ३० सितम्बर तक अथवा कोर्स प्रारम्भ होने के 3० दिन के अन्दर
जो भी बाद में हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है !)

आवेदक को पासपोर्ट
साइज का फोटो जिस पर
उसके हस्ताक्षर हो.
चिपकाना चाहिये

भाग (अ)

(प्रविष्टि को आवेदक द्वारा साफ-साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जायें)

- (1) आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) श्री/श्रीमती/कुमारी
- (2) अनु जाति/अनु. जनजाति /उप जाति)
- (3) धर्म
- (4) मूल निवासी/स्थायी पता जिला
- पूरा स्थायी पता
- (5) पिता/पति का नाम (पूरा नाम लिखें)
- (6) शालक का नाम, पूरा पता तथा आवेदक से संबंध नाम
- पता
- संबंध (रिश्तेदारी)

विगत दो वर्षों की परीक्षाओं का व्योम में एक सूची की अनुप्रमाणित प्रतियां मलगन करें। शिक्षा सेवक द्वारा
 उक्त सूची के खाने में दर्शाया जाना चाहिये :-

परीक्षा का नाम	संस्था, विश्वविद्यालय या मंडल का नाम	जिस वर्ष में परीक्षा दी	परीक्षा, उत्तीर्ण की अथवा नहीं यदि उत्तीर्ण की तो श्रेणी और अंक जो प्राप्त हुये उनका प्रतिशत	गिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1) क्या पिछले वर्षों में कभी कोई छात्रवृत्ति मिली थी? हां/नहीं, यदि हां, तो सूचित कीजिये.

(अन्य किसी योजना के अन्तर्गत)

(1) छात्रवृत्ति

योजना का नाम

(2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिये छात्रवृत्ति

मिली थी व वर्ष

(3) उस संस्था का नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी

2) उस संस्था का नाम जहाँ इस वर्ष अध्ययन कर रहा है

(1) वह पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदनक द्वारा
छात्रवृत्ति चाही गई है।

(2) इस वर्ष किस कक्षा में अध्ययन कर रहे

(3) कक्षा में प्रवेश की तिथि

3) क्या आप संस्था के छात्रावास में या संस्था द्वारा
दिए गए छात्रावास में रहते हैं?

यदि हां, तो संस्था का नाम

यदि नहीं, तो संस्था का नाम

11) निम्नलिखित प्रमाण-पत्र का मातृ-संस्था

(अ) जाति का प्रमाण-पत्र

(प्रपत्र-1)

(ब) आय संबंधी घोषणा

(प्रपत्र-2)

(स) अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियां

(12) क्या आपको किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति प्राप्त हो रही है? यदि हाँ, तो नाम व राशि

हाँ/नहीं

(13) क्या आप कोई पूर्णकालीन सेवा करते हैं?

हाँ/नहीं

(14) यदि हाँ, तो विवरण

(15) क्या आवेदक के परिवार में अन्य बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मिलती है? यदि हाँ तो विवरण दें

हाँ/नहीं

नाम छात्र कक्षा संस्था का नाम जहाँ अध्ययनरत है

..... वर्ष जब से छात्रवृत्ति मिली है।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने योजना के विनियम पढ़ लिये हैं तथा इस आवेदन-पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिये गये विवरण सही हैं। मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा निम्नका निर्णय अन्तिम होता है गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे/हमारे लिये अन्तिम और बन्धनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस करूँगा/करेंगे तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, यह रकम ऐसे किसी भी तरीके में, जो उचित समझे वसूल कर सकेगा।

(1) आवेदक हस्ताक्षर

(2) पिता/पालक के हस्ताक्षर अथवा निशानी दाहिना, बाया गुंठा

(3) पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में

(4) छात्र से सम्बन्ध (रिश्तेदारी)

(5) पिता/पालक का धन्दा

स्थान

तारीख

भाग (ब)

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाय जहाँ आवेदक अध्ययन कर रहा हो)

(1) पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है

हाँ/नहीं

(2) (क) क्या आवेदक को शिक्षण शुल्क भुगतान करने के लिये छूट दी गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो/यह बतायें कि पूरे शिक्षण शुल्क की

छूट दी गई है या आधे शिक्षण शुल्क की

आवेदक की चालू वर्ष में तारीख

से तारीख

के लिए व्यय

इस संस्था को रूपये

अनिवार्य फीस

(छात्रावास का भाड़ा तथा

अन्य प्रामाणिक व्ययों को छोड़) का भुगतान करना होगा जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

आवेदक द्वारा देय वापिस न की जाने वाली समस्त अनिवार्य फीसों के ब्यौरे	दर में	संस्था को आवेदक द्वारा प्रस्तुत देय राशि	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)

रूपये पैसे रूपये पैसे

- फीस
- पराक्षा फीस
- खेल कूद फीस
- गुस्तकालय फीस
- चिकित्सा फीस

योग

संस्था को आवेदक द्वारा देय वापिस न की जाने वाली अन्य किसी अनिवार्य फीस का यहाँ उल्लेख किया जाये।

क्या छात्र/छात्रा छात्रावास में रहता है/रहती है ? क्या वह मुफ्त भोजन आवास/मुफ्त आवास/मुफ्त भोजन का हकदार है ?

- (1) प्रमाणित किया जाता है :-
- (1) आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जाँची गई है एवं वह सही है जानकारी की दुरुस्ती लाल स्याही से अंकित है।
 - (2) पाठ्यक्रम जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है वह मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम है।

यह संस्था विश्वविद्यालय/मण्डल से संबद्ध है तथा भारत सरकार/राज्य प्रासन द्वारा प्रायता प्राप्त है। आवेदक इस संस्था में पाठ्यक्रम में पठ रहा है जिसमें प्रवेश पाने के लिये न्यूनतम अंक प्राप्त हैं।

निश्चय देता है कि प्राधिकारी द्वारा जब भी आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम मुझे सौंपी जायेगी वह जिस निश्चित उद्देश्य
 के लिए उसका भुगतान उसी प्रकार किया जाकर पूर्ण लेखा-जोखा अधिकारी को नियमित रूप से भेजता रहूँगा। यदि आवेदक
 को देना पड़ाई चालू न रखे या कोई अन्य छात्रवृत्तियां/शिष्यवृत्ति स्वीकार कर ले तो यह तब तत्काल छात्रवृत्ति प्रदान करने
 अधिकारी को सूचित किया जायेगा और आवेदक को छात्रवृत्ति का भुगतान भी बन्द कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति फीस आदि
 संबंधित संस्था के पास बची अवितरित अतिरिक्त राशि भी शासकीय लेखे में वापिस जमा कर दी जायेगी।

.....
 संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम स्पष्ट अक्षरों में

पदनाम

पता

संस्था की मुहर

मांक

दिनांक

पता

प्रपत्र (2)

आय संबंधी घोषणा-पत्र

(घोषणा-पत्र आवेदक के माता/पिता/पति/पालक द्वारा शपथ-पत्र के रूप में दिया जाये)

चूंकि मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित

श्री/कुमारी/श्रीमती

जो कि

का छात्र/छात्रा है, ने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

मैं, श्री

आत्मज

घोषणा करता हूँ

कि मेरी विगत वर्ष 31 मार्च, 20 ... तक की कुल आमदनी सब स्रोतों से रूपये थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा धारित संपत्ति का ब्यौरा इसके साथ संलग्न पत्र में दिये अनुसार है और मैंने अपने द्वारा भुगतान किये गये विभिन्न करों, उपकरों और भू-राजस्व की रकम का सही रूप से उल्लेख किया है। प्रस्तुत किये गये तथ्यों और आंकड़ों के लिये मैं अपने आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता हूँ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस घोषणा में दिये गये ब्यौरे असत्य पाये गये तो उक्त छात्रवृत्ति की संपूर्ण रकम शासन को एक मुश्त लौटा दूंगा तथा घोषणा की असत्यता संबंधी शासन का निर्णय मेरे लिये अंतिम और बंधनकारी होगा।

स्थान

हस्ताक्षर पिता/पति/पालक

दिनांक

[पिता/माता/पति (विवाहित छात्राओं के लिये) के जीवित न होने पर ही पालक द्वारा घोषणा-पत्र भरा जावेगा]

अनुसूची

- (1) क्षेत्रफल
- (2) ग्राम
- (3) भू-मापन क्रमांक (सर्वे नम्बर)
- (4) भू-राजस्व निर्धारण
- (1) मकान क्रमांक
- (2) नाम
- (3) ग्राम/नगर/शहर
- (4) स्थल का क्षेत्रफल
- (5) प्राप्त होने वाला भाड़ा यदि कोई हो
- (6) भुगतान किया गया गृह भाड़ा
- (7) दुकान का पता
- (8) धंधा (दुकान का)
- (9) विक्री कर/आयकर जो भुगतान किया गया
- (10) लायसेंस क्रमांक
- (1) नियोजक का नाम
- (2) वह कार्यालय ईकाई जिसमें वह कार्य कर रहा हो
- (3) पता
- (4) मासिक उपलब्धियां, वेतन, मंहगाई-भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, सिटी अलाउन्स अन्य अलाउन्स मिलाकर
- (5) अन्य सुविधायें जैसे मकान भत्ता, निःशुल्क मकान तथा अन्य सुविधायें
- (1) अन्य धंधों, साधनों से होने वाली आमदनी/अंशकालीन कार्यों से आमदनी
- (2) मजदूरी के रूप में ली गई रकम
- (3) कोई अन्य आय

धारित भूमि की सीमा

2) धारित संपत्ति (मकान, दुकान, भवन, मकान के लिये स्थल आदि)

1) लिया गया वेतन (यदि माता, पिता दोनों सेवा में हैं तो पृथक-पृथक जानकारी दी जाये)

1) अन्य

आय की घोषणा के सत्यापन के लिये सुझाई गई कार्य प्रणाली

अधिकांशतः आय की घोषणा का सत्यापन कार्यालयीन अभिलेखों को देखकर किया जायेगा, उदाहरणार्थ, शासकीय कर्मचारियों या शासकीय सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में कार्य का सत्यापन नियोजकों से आय पूछकर किया जा सकता है। कृषकों के मामले में आय राजस्व अधिकारी से जानी जा सकती है, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के मामले में आय, आयकर, प्राधिकारियों के जरिये जानी जा सकती है, दुकानदारों के मामलों में सत्यापन विक्रय कर आंकड़ों को देखकर किया जा सकता है। विक्रय कर आंकड़ों से दुकानदारों को होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है जिसके अनुसार खाद्यान्न के फुटकर विक्रेताओं को 10 से 15 प्रतिशत और थोक विक्रेताओं को 15 से 20 प्रतिशत लाभ सामान्य माना जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनके अपने मकान हैं, उनका वार्षिक भाड़ा मूल्य गृह कर द्वारा सरलता से जाना जा सकता है जो कि या दोनों के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के मामलों में आय का मोटा अनुमान, स्वामी/काश्तकार या दोनों के रूप में उनके द्वारा धारित भूमि के आकार तथा भूमि की सीमा से और/या भू-राजस्व अभिलेखों की सहायता से लगाया जा सकता है।

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, जिला इन्दौर)

आवास सहायता योजना 2013 हेतु निःशुल्क आवेदन-पत्र

अनुसूचित जाति

छात्रवृत्ति अप्लीकेशन ID No.

अनुसूचित जनजाति

अप्लीकेशन कोड

फोटो

वर्ष :

1. छात्र का पूरा नाम :-
2. मोबाईल नंबर :-
3. पिता/पालक का नाम/पता/मो.फो.नं. :-
4. आवेदक का पालक से संबंध :-
5. आवेदक का स्थायी पता :-
6. आवेदक का स्थानीय पता (मकान मालिक :-
- का नाम एवं मो.नं. भी अंकित करें)
7. जाति एवं उपजाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :- जाति.....वर्ग-अनु.जाति / अनु.जनजाति
8. 1) पिता का व्यवसाय
- 2) पिता की वार्षिक आय
- 3) माता का व्यवसाय
- 4) माता की वार्षिक आय :-
- 5) अन्य स्रोत से आय :-
- 6) परिवार की कुल वार्षिक आय :-
- (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

14. 1) मकान किराये की जानकारी :-
- 2) मकान मालिक का नाम :-
- 3) मोबाईल नंबर
- 4) पता :-
- 5) किराये से लिये कमरे का क्षेत्रफल :-
- 6) साथ में कितने छात्र निवास करते हैं :-
- 7) मासिक किराया :-
- 8) विद्युत व्यय :-
15. 1) अध्ययनरत संस्था का नाम :-
- 2) पता :-
- 3) फोन/मोबाईल नंबर :-
16. 1) अध्ययनरत कक्षा का नाम :-
- 2) छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश दिनांक :-
- (शुल्क, रसीद या अन्य साक्ष्य संलग्न करें) :-
17. 1) छात्र का आधार आधारित बैंक अकाउंट :-
- की छायाप्रति (बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित) :-
- 2) बैंक का नाम :-
- 3) शाखा का नाम :-
- 4) खाता क्रमांक :-

5) आई.एफ.एस.कोड

:-

18. आधार कार्ड का नंबर

:-

(छात्र के हस्ताक्षर)

—: पिता / पालक का घोषणा-पत्र :-

मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरे पुत्र को आवास सहायता योजना का लाभ दिया जाता है तो मेरा पुत्र समस्त शासकीय नियमों के पालन करने हेतु वचनबद्ध है। मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय.....हैं और मेरा इंदौर नगर निगम सीमा में स्वयं का अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम कोई आवास नहीं है। एवं मेरे पुत्र द्वारा वर्ष में उल्लेखित संस्था में ही नियमित प्रवेश लिया है। इस संस्था के अतिरिक्त इस वर्ष किसी अन्य संस्था में नियमित प्रवेश नहीं लिया है और नहीं किसी अन्य संस्था से आवास / सहायता योजना एवं छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया है। यदि असत्य जानकारी के आधार पर यदि मेरे पुत्र द्वारा आवास सहायता योजना का लाभ लिया जाता है तो मुझ पर सभी वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

पिता पालक के

नाम.....

—: संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणीकरण :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... छात्र को संस्था की कक्षा में दिनांक..... को प्रवेश दिया गया है, छात्र द्वारा प्रवेश के समय पूर्व संस्था की प्रथम मूल टी.सी. इस संस्था में जमा है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न है तथा छात्र द्वारा गत वर्ष कक्षा उत्तीर्ण / अनुउत्तीर्ण की गई है। संस्था में वर्ष 2013-14 में प्रवेश की अंतिम तिथि..... हैं।

छात्र द्वारा प्रस्तुत जानकारी संस्था के रिकार्ड से सत्यापित की गई है।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
(संस्था प्रमुख)

संलग्न :- (निम्न अभिलेख स्व से सत्यापित कर संलग्न करें)।

1. जाति प्रमाण-पत्र
2. आय प्रमाण-पत्र (यदि माता-पिता शासकीय सेवा में हो तो पे स्लीप एवं फार्म-16 की प्रति प्रस्तुत करें)।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र।
4. विगत तीन वर्षों की अंकसूची।
5. संस्था नियमित प्रवेश की रसीद।
6. पासपोर्ट साईज फोटो।
7. आधार आधारित बैंक एकाउंट की प्रतिलिपि।
8. जो मकान किराये से लिया है। उसके भाडा अनुबंध(रेंट एग्रीमेंट) की प्रतिलिपि।
9. मकान मालिक द्वारा क्षेत्र के थाने पर किरायेदार की सूचना की प्रतिलिपि।
10. आधारकार्ड की प्रतिलिपि (पहचान-पत्र)
11. संस्था प्रमुख, छात्र द्वारा जमा की गई टी.सी. (एस.एल.सी.) की प्रतिलिपि संलग्न करें।

नोट-

- कं.1 शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र संबंधित महाविद्यालय में ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- कं.2 अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, इंदौर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- कं.3. छात्र आधार आधारित अकाउंट नंबर की छायाप्रति को संबंधित बैंक मैनेजर से प्रमाणित करवाएंगे कि यह खाता आधार आधारित डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
- क्र.4 अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर विचार नहीं किया जायेगा।
- क्र.5 अभिलेखों की कमी के कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।

—: शपथ-पत्र :-

(शपथ आयुक्त द्वारा पंजीकृत/प्रमाणीकरण)

मैं पिता का नाम जन्मतिथि.....
निवासी..... शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं :-

1. संस्था की कक्षा में अध्ययनरत हूँ।
 2. मेरा/मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का इंदौर नगरीय सीमा क्षेत्र में कोई घर नहीं है।
 3. मैं संस्था का नियमित विद्यार्थी होकर जाति..... वर्ग से संबंधित हूँ।
 4. मेरे द्वारा इस वर्ष इस संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है और किसी अन्य संस्था से छात्र आवास सहायता योजना 2013 का लाभ नहीं लिया है।
 5. मैं इन्दौर में किसी भी शासकीय या शासन द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत नहीं हूँ।
 6. असत्य कथन या अभिलेख असत्य होने पर मुझ पर सभी वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- मैं आवास सहायता योजना के समस्त नियमों का पालन करने के लिये वचनबद्ध हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक.....